MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

No. 14036/374/2013-UTP
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi
Dated the 27th May 2013

To

Shri Rajiv Kumar,
AICPO HQ TA-105
Tughlakabad Extn,
Kalkaji, New Delhi-110019

Subject: - Your application dated 2.5.2013, under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your above mentioned RTI application (received in this section on 10.5.2013) under Right to Information Act, 2005.

2. As regard to points 1 & 2 : The requisite information is not maintained/compiled, hence no information in this regard.

3. As regards to point 3 : This is beyond the definition of 'information' as defined u/s 2(f) of RTI Act, 2005.

4. The name and designation of the Appellate Authority in the Ministry of Home Affairs in respect of this reply is Shri K K Pathak, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,

S Sudha

(S Sudha)
CPIO& Under Secretary (DP-II)
Tele: 23092856

Issued
1448
30/5.

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी / मुख्यमंत्री
दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय
आई०पी० स्टे०
दिल्ली - 110002.

237203
3/5/13

विषय:- दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार के साथ करने हेतु।

ID-2252
Home G.NCT
MHA

दिल्ली सरकार, केन्द्र सरकार के बीच की लड़ाई

दिल्ली सरकार समय-समय पर दिल्ली में बढ़ते अपराधों के बारे में ये कह कर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जिससे कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अन्तर्गत नहीं आती। दिल्ली में बढ़ती हुई अपराधिक गतिविधियों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार के इस कथन को, लेकिन दिल्ली सरकार की जिम्मे-दारियों से बचने के साथ ही पूरी हो जाती है या स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती आखिर दिल्ली की शासन व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दी गई है, जिसके लिए स्वच्छ निर्वाचित चुनाव प्रक्रिया के अन्तर्गत जनता अपने वोट का इस्तेमाल कर के जन प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार की शासन व्यवस्था को सम्भालने के लिए चुन कर सरकार में शामिल करती है।

भारत की राजधानी दिल्ली और इसमें बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए समय-समय पर लागू किये हुए कानूनी प्रावधानों को लागू करके राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप से छुपी नहीं है, समय-समय पर दिल्ली सरकार और उस से जुड़े हुए प्रमुख कार्यालयों: मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद आदि केन्द्र सरकार की नीतियों को ईमानदारी से लागू कराने की होड़ में अपने इलाकों की नीतियों को लागू कराने में काम करें और समय-समय पर दिल्ली पुलिस की गतिविधियों की समीक्षा लिखित रूप में मांगे और प्रशासन को हम उस प्रशासन की बात कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार के अन्तर्गत नहीं आती लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार जैसे की आम नागरिक को अपने अधिकार के बारे में सवाल पूछने और अपना अधिकार लेने के बारे में स्वतन्त्र है तो क्यों? हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी दिल्ली सरकार समय-समय पर दिल्ली पुलिस की उपलब्धियों और आने वाले भविष्य में दिल्ली पुलिस की योजना के बारे में जानकारी ले और अपने सुझाव पेश करें, समय-समय

पर गृहमन्त्रालय को जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखे जिस तरह से साली साल दिल्ली मे हर तरह के अपराध का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है उसके अनुसार क्या कभी दिल्ली सरकार ने अपराध से बढ़ते हुये रेशयों को केन्द्र सरकार के समक्ष रखा है अगर हाँ तो कब-कब इस बात की सूचना लेने के लिए हम दिल्ली सरकार से प्रार्थना करते है कि हमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी दे।

सन् 1991 से चल रहे हमारे प्रयासो के अनुसार दिल्ली से अपराध को खत्म करने का हमारा सपना आप के सहयोग से जल्द ही पूरा हो सकेगी कामना के साथ हम अंत मे आप से प्रार्थना करते है कि उपरोक्त लिखित हमारे प्रयासो पर जल्द ही उचित कार्यवाही की जायेगी और दिल्ली को सुरक्षित बनाने का हमारा सपना जल्द ही पूरा होगा।

कुछ सवाल है जिनके जवाब की हम सकारात्मक उम्मीद आप से करते है जिससे दिल्ली सरकार पर लगते अपराधो के आरोपो को कम हम अपने प्रयासो से कर सके।

"कुछ प्रश्न निम्न प्रकार हैं जिनके जवाबों की उम्मीद जल्द ही हम आप से करते है।"

✓ प्र01. दिल्ली सरकार ने दिल्ली मे अपराधों की जानकारी गृहमन्त्रालय को पिछले 14 वर्षो मे कितनी बार दी तथा कौन-कौन से विषयो पर रही ?

✓ प्र02. गृहमन्त्रालय ने दिल्ली सरकार से सम्बन्धित सूचनाओ के सम्बन्ध मे कब-कब किस-किस तारीख को जानकारी उपलब्ध कराई?

✓ प्र03. नवभारत टाइम्स दैनिक अखबार के अनुसार 12/3/13 के अनुसार गृहमन्त्री केन्द्रीय सुशील कुमार शिंदे जी क्या इंकार कर सकते है हाँ या ना।

इस खबर के अनुसार गृहमन्त्री जी ने कहा कि मुख्यमन्त्री श्रीमति शीला दीक्षित लिखित मे दे दे चाहे दिल्ली पुलिस का मामला हो या वह अपराधिक तौर पर लिखकर दे मौजूदा केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने साफ तौर पर कहा कि यह जेल प्रशासन की बड़ी असफलता है कि सामुहिक बलात्कार के आरोपी रामसिंह कि आत्म-हत्या जेल परिसर के अन्दर हुई घटना की अदालती जांच के आदेश दे दिये गये है।

अंत मे मुख्यमन्त्री जी के दिल्ली की मुख्यमन्त्री को दिये

गए सुझावों के अनुसार हम जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या गृहमंत्रालय को कोई लिखित प्रस्ताव हुआ या नहीं। अगर हाँ तो उसकी लिखित जानकारी हमें भेजने का कष्ट करें ताकि हम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए तालमेल के अनुसार काम करें।

आवेदन के साथ लिखित के रूप में दस रुपये जमा कर दिये हैं।

भवदीय
Rajiv Kr
02/05/13
राजीव कुमार
News Investigator
Rank Special Correspondent--
AICPO HQ TA-105 Tughlakabad
(Extn) Kalkaji New Delhi-110019
Mob - 9213957769